रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3 —Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 347] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 1987/आषाढ़ 10, 1909
No. 347] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 1987/ASADHA 10, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1987

अधिसूचना

मा.का.नि. 618(अ) : —केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक (प्रवर्तन) संशोधन अधिनियम, 1986 (1986 का 72) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 1987 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. डब्ल्यू एम-9(31)/86]
बी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1987

G.S.R. 618(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Standards of Weights and Measures (Enforcement) Amendment Act, 1986 (72 of 1986), the Central Government hereby appoints the first day of July, 1987, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force.

[F. No. WM.9(31)|8

B. K. SINHA, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987